पत्र संख्या-सा०नि०क० 2-0-36189-2809-सा०पु०

बिहार सरकार
सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक

श्री भी०एन० मिश्रा,
सहाय्य आयुक्त ।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी

सभी उपायुक्त एवं

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 5 जून 1989

विषय—दैविक आपदाओं के समय सहाय्य सम्बन्धी नार्भस के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि विगत दिनों में दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर की प्रमंण्डलीय बैठक में सहाय्य-सम्बन्धी समीक्षा से विदित हुआ कि कतिपय जिलों एवं अनुमंडलों से दैविक आपदाग्रस्त परिवारों को सहाय्य प्रदान करने के नार्भस की पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण सहाय्य वितरण में अनियमितता एवं असमानता के विशेष के स्तर पर होती है ।

2. इस संदर्भ में सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग द्वारा सहाय्य संबंधि अद्यतन निदेशों एवं प्रपत्रों की पुस्तिका (कम्पेडियम-अप्रील 1987) सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों, उपायुक्तों को भेजी जा चुकी है जिसमें सहाय्य के स्केल एवं नार्भस की अद्यतन जानकारी दी गयी है । इसके बावजूद सहाय्य वितरण में किसी तरह की शंका का पाया जाना युक्तिसंगत नहीं प्रतितत होता है ।

3. भविष्य में सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से एवं निर्धारित नार्भस के अनुसार ही सहाय्य वितरण किया जा सके इसके कम्पेडियम द्वारा संसूचित मुख्य विन्दूओं को नीचे अंकित किया जा रहा है जिसका मुश्तैदी से अनुपालन किया जाना आवश्यक है । सभी ऐसी दैविक आपदाओं में जैसे बाढ़ अग्निकांड, ओलापात, लू, शीतलहरी, तूफान आदि के समय सहाय्य का एक ही नार्भस अपनाया जायेगा ।

(1) अनुग्रह अनुदान :—(क) दैविक आपदा से मृत प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी को पांच हजार रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जायेगा । लेकिन इसके पूर्व वितरण करनेवाले पदाधिकारी को भलिभांति संतुष्ट हो जाना होगा कि मृत्यु दैविक आपदा के कारण ही हुई है ।

(ख) अगर दैविक आपदा के कारण किसी का एक हाथ या पैर कट जाता है या दोनों आंखे चली जाती हैं तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2500 रुपये का अनुदान देय होगा । अनुग्रह अनुदान प्रदान करने के मामलो में प्रभावित व्यक्ति अथवा परिवार के द्वारा धारित जमीन अथवा वार्षिक आय का कोई बंधक नहीं रहता है । सभी वर्गों के परिवारों को यह अनुदान देय है ।

(2) मुफ्त खाद्यान्न :—दैविक आपदा से ग्रस्त सिर्फ ऐसे परिवारों को मुफ्त अनाज का वितरण एवं गृह निर्माण अनुदान का वितरण किया जाना है जिसके पास एक एकड़ से कम जमीन हो तथा जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3500 रु० से कम हो ।

(क) ऐसे प्रभावित परिवारों को उनके परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रति व्यस्क 3.500 साढ़े तीन किलोग्राम एवं प्रति व्यस्क (जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम हो) 1.75 किलोग्राम (पौने दो किलोग्राम) प्रति सप्ताह मुफ्त खाद्यान्न अनुमान्य है ।

(ख) ऐसे प्रभावितों को मुफ्त खाद्यान्न के अतिरिक्त कैश-डोल के रूप में प्रति व्यस्क दो रुपये प्रतिदिन एवं प्रति अवयस्क 1 रुपया प्रतिदिन का नगद भुगतान भी अनुमान्य है ।

(ग) ऐसे प्रभावित परिवारों को अगर उनके सभी वस्त्र एवं खाना पकाने के वर्त्तन आदि दैविक आपदा यथा बाढ़, अग्निकांड इत्यादि से पूर्णतः नष्ट हो गया हो तो उन्हें प्रति परिवार 100 रुपये वस्त्र के लिए तथा 100 रु० बर्त्तन आदि के लिये देय होंगे ।

(3) गृह निर्माण अनुदानः—(क) दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त ध्वस्त कच्चे मकानों के लिए क्षति के आधार पर न्यूनतम 200 रुपये तथा अधिकतम 750 रुपये तक का गृह निर्माण अनुदान देय होगा। मुफ्त खाद्यान्न की अर्हत्ता रखनेवाले आय वर्ग के लोगों की ही देय होगा ।

(ख) दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त, ध्वस्त पक्के मकानों के लिए फ्लैट रेट से एक हजार रुपये का गृह निर्माण अनुदान देय होगा ।

4. यह बात भलिभांति समझ लेना आवश्यक है कि दैविक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को यदि समय पर उपर्युक्त सहायय नहीं प्रदान किया जाता है तो समय बीतने के बाद अनुदान देने से भी प्रभावितों को को राहत की भावना नहीं रह जाती है एवं जनता की दृष्टि में सरकार की छवि भी बिगड़ती है। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्हत्ता रखने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सभी अनुमान्य सहाय्य अधिकतम दस दिनों के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय ।

आप अपने अधीनस्थ भूमि सुधार समाहर्त्ता एवं सहाय्य कार्य करने वाले अंचल अधिकारीयों/प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपर्युक्त निदेशों से यथाशीघ्र अवगत कराते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन करने का निदेश देने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन,
भी० एन० मिश्रा,
सहाय्य आयुक्त ।

ज्ञापांक-2809-सा०पु०

पटना-15, दिनांक 5 जून 1989 ।

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भी० एन० मिश्रा,
सहाय्य आयुक्त ।

ज्ञापांक-2809-सा०पु०

पटना-15, दिनांक 5 जून 1989 ।

प्रतिलिपि—मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के वरीय सचिव एवं मंत्री, सहाय्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

भी० एन० मिश्रा,
सहाय्य आयुक्त ।

ज्ञापांक-957/सहाय्य, पटना

दिनांक 15 जून 1989 ।

प्रतिलिपि—सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,
अपर समाहर्त्ता सहाय्य,
पटना ।